भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2916

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बिहार में भूजल संसाधनों का कुशल उपयोग

2916. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के उन जिलों, विशेषकर पश्चिम चंपारण, जो गिरते जल स्तर का सामना कर रहे हैं, में भूजल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए कोई योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है, अत: भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन प्रदान किया जाता है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं: -

i. जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम, भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में भूजल मैपिंग, मॉनिटरिंग और विकास गतिविधियां करना है। भूजल स्तर की नियमित मॉनिटरिंग इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों में से एक है और दशकीय औसत स्तर (नवंबर 2013-22 के औसत स्तर के साथ नवंबर 2023 के स्तर की तुलना से यह ज्ञात होता है कि, बिहार में मॉनिटर किए गए लगभग 41.7% कूपों के भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है जबकि, पश्चिम चंपारण के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 86.67% कूपों के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

ii. सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के 2 जल की कमी वाले जिलों सहित देश के 151 ऐसे जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक अम्ब्रेला अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण द्वारा विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

iii. इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा बिहार राज्य के लगभग 90,567 वर्ग किमी क्षेत्र सहित देश भर में लगभग 25 लाख वर्ग किमी मैपिंग योग्य क्षेत्र को कवर करते हुए राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग (नैक्यूम) परियोजना भी पूरी कर ली गई है। पश्चिम चंपारण सहित सभी जिलों के लिए जलभृत्त मैपिंग और प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और इन्हें कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। नैक्यूम के तहत तैयार की गई जलभृत प्रबंधन योजनाओं में आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों प्रकार के कार्यकलाप प्रस्तावित किए गए हैं।

iv. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें अनुमानित लागत के साथ लगभग 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) जल के संचयन के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। बिहार राज्य के मास्टर प्लान में राज्य में लगभग 91 हजार संरचनाओं के निर्माण की सिफारिश की गई है।

v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से बिहार सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि पर केंद्रित है।

vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर का आरंभ किया गया है जिसका उद्देश्य बिहार सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनरुद्धार किया गया है जिनमें से 2,717 बिहार में हैं।

vii. भारत सरकार द्वारा मनरेगा और पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी जैसी योजनाओं के माध्यम से बिहार सहित सभी राज्यों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के निर्माण में सहायता प्रदान किया जा रहा है।

viii. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा अपने दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी कर देश में भूजल की निकासी सह उपयोग को विनियमित किया जाता है। ये दिशानिर्देश अखिल भारतीय स्तर पर लागू है।

ix. मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विकास के विनियमन के लिए उपयुक्त भूमि जल कानून अधिनियमित करने में सक्षम बनाने के लिए एक माडल बिल परिचालित किया गया है जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक बिहार सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन भूजल कानून को अपनाया है और इन्हें लागू किया है।

उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार सरकार द्वारा बिहार में भूजल संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए जल जीवन-हरियाली मिशन का कार्यान्वयन किया गया है, इन्हें विशेष रूप से पश्चिमी चंपारण जैसे जिलों में लागू किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- तालाबों / आहार / पाइन्स का पुनरुद्धार।
- कुओं का पुनरुद्धार ।
- कुओं और हैंड पंपों के निकट सोक पिट्स /पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण।

*****